.19 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष द्वारा बहस अन्तर्गत RTA 212 समाप्ति की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए बहस प्रारम्भ कर कथन किए कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रश्नगत आराजी का पक्षकारान के मध्य अच्छी मंदी के हिसाब से घरू बंटवारा हो चुका है। मुताबिक बंटवारा प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण संयुक्त खाता होने के कारण इस भूमि को बेचने एवं उस पर कब्जा करने की फिराक में है अतः बाद निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा कन्फर्म फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब बहस में कथन किए कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य कभी घरू बंटवारा नहीं हुआ। प्रश्नगत आराजी सांझे खाते की है जिसमें प्रत्येक इंच पर सभी सहकाश्तकारों का समान अधिकार है। एक सहकाश्तकार अन्य सहकाश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र नहीं ला सकता अतः अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु विधि द्वारा सुस्थापित बिंदुओं - 1. प्रथमदृष्टया मामला 2. सुविधा का संतुलन एवं

महायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अपूरणीय क्षति पर विचारण किया गया।

उपर्युक्त बिंदुओं पर विचारोपरांत एवं पत्रावली अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रस्तगत आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खाते की आराजी है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। यद्यपि एक सहखातेदार अन्य सहखातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता परंतु जहां विवाद परिवार के सदस्यों के मध्य पैतृक संपत्ति के संबंध में हो वहां पक्षकारान के मध्य वाद बहुलता को रोकने हेतु संपत्ति की संरक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है। उक्त्रण हाजा में एक ही परिवार के सदस्यों के पक्षकार होने से एवं इनके मध्य वाद बहुलता में वृद्धि को रोकने हेतु न्यायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 17.12.2018 इस आधार से कन्फर्म की जाती है कि मूल वाद का निस्तारण होने तक उभयपक्ष प्रस्तगत आराजी को रहन, बैय या अन्तरित करने से निषेध रहे। रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखी। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली कौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.12.20 12:21:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: